

महामहिम राज्यपाल
श्री मदन लाल खुराना
का अभिभाषण
सोमवार, 19 जनवरी, 2004

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

1. विधान सभा के प्रथम सत्र में आपको संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हाल ही में राज्य में 12वीं विधान सभा के चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। मैं नवनिर्वाचित माननीय विधायकों को बधाई देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि वे राजस्थान के विकास से सम्बन्धित मुद्दों को प्रभावी ढंग से रखकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग देंगे। मैं माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ साथ ही माननीय सदस्यों और राजस्थान के निवासियों को नव वर्ष की शुभ-कामनाएं प्रेषित करता हूँ।

2. हम राजस्थान के लोग समय-समय पर ऐतिहासिक परिवर्तन कर हमारे लोकतंत्र की सुदृढ़ता और परिपक्वता का संदेश देते रहे हैं। राजस्थान की महान जनता ने लोकतांत्रिक ढंग से परिवर्तन पथ की पाथेय बनकर जनपथ पर शासन की बागडोर सौंपी, उसके लिए मैं जनता के विवेक की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद जापित करता हूँ। यह परिवर्तन मूल्यों का परिवर्तन है, अन्धियारे से उजाले की ओर हुए इस परिवर्तन से राज्य में खुशहाली आएगी, सभी को न्याय और सम्मान मिलेगा।

3. माननीय प्रधानमंत्रीजी ने 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए, आधारभूत सुविधाओं का ढाँचा तैयार किया। इसी क्रम में हमारी सरकार ने शासन में आते ही अपनी सोच से सभी विभागों को अपने दृष्टि दस्तावेज से अवगत कराया कि हमारे दिमाग में राजस्थान के बारे में क्या सपना है। उसी पर आधारित हमारी सरकार ने समयबद्ध विभिन्न क्षेत्रों की जन-कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है, जिन्हें 100 दिवस, 1 वर्ष व आगामी 5 वर्षों में क्रियान्वित किया जाएगा।

4. हमारी सरकार ने शासन सम्भालते ही गत 4 वर्षों से सरकारी नौकरियों की भर्ती पर लगा प्रतिबन्ध हटाकर बेरोजगार युवकों को नौकरी देने

का निर्णय किया है। रबी की फसल के लिए 8 घंटे बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग के लिए रात्रि 6 से 10 बजे तक तथा प्रातः 5 से 7 बजे तक यथासंभव विद्युत सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू की है। सरकारी कर्मचारियों की गत सरकार द्वारा बन्द की गई सुविधाओं को बहाल कर रहे हैं।

5. सरकार की प्राथमिकताएं कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना, आधारभूत सुविधाओं का सृजन करना, जन विकास से जुड़ी योजनाओं में क्रान्ति लाना, रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना तथा मानव विकास को सर्वोपरि रखते हुए असाहाय व गरीब तबके को राहत पहुँचाना है। जनता व सरकार के बीच की दूरियां कम करने के लिए प्रशासनिक संस्कृति में निखार लाना आवश्यक है, इसके लिए सरकार जनता से ज्यादा से ज्यादा संवाद स्थापित करेगी। राजस्थान में बार-बार पड़ने वाले अकाल व प्राकृतिक आपदाओं से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार विशेष कार्य योजना बनाएगी। जन अभियोग का शीघ्रता से निराकरण व जल्दी निस्तारण हो इसके लिए विभागों में e-governance (ई-गवर्नेंस) की प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है।

6. सत्ता का विकेंद्रीकरण करके जन-जन की सत्ता में भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। जनता को शक्ति (Power to People) यह एक नारा नहीं बल्कि हकीकत में क्रियान्वित होगा। राजस्व व खर्च के बीच की दूरियां कम की जाएंगी, निजी निवेश को बढ़ावा जाएगा ताकि वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ हो। हमारी सरकार राजस्थान के सम्मान को पुनः लौटाएगी। हम राजस्थान को बीमारु राज्यों की श्रेणी से निकाल कर अग्नि पंक्ति में खड़ा करेंगे।

7. सरकार के 5 साल के विकास कार्यक्रम व दिशा-दर्शन का विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

प्रशासनिक ढाँचे का सुदृढीकरण

(कानून व्यवस्था, वित्त एवं नियोजन, प्रशासनिक सुधार, सूचना, संचार एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी)

कानून व्यवस्था

8. पिछली सरकार के शासन में राजस्थान जुर्म व अपराध के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में आ गया था, जिसके कारण राजस्थान के सम्मान

को गहरी चोट पहुंची थी। आगामी वर्ष में राज्य में कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। पुलिस आधुनिकीकरण योजना को भारत सरकार से अनुमोदन कराकर शीघ्र क्रियान्वित किया जाएगा। पाकिस्तान से पश्चिम राजस्थान में आए शरणार्थियों की नागरिकता के लिए लम्बित आवेदन-पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

9. आगामी पंचवर्षीय कार्ययोजना के तहत पुलिस विभाग में सभी स्तरों पर विशेष प्रशिक्षण देकर विशेषकर मानव-अधिकार एवं महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों पर और अधिक संवेदनशीलता लाई जाएगी। प्रत्येक जिले में एक ऐसा पुलिस थाना होगा जो कि पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित होगा।

10. अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के व्यक्तियों के विरुद्ध घटित अपराधों का समयबद्ध व संवेदनशील रूप से निस्तारण किया जाएगा। अनुसूचित जाति/जनजाति अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत बने 1995 के नियमों के अनुसार दी जाने वाली मुआवजा राशि के प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा।

वित्त एवं नियोजन

11. हमारी सरकार ने शासन संभालने के तुरन्त बाद वर्तमान वित्त वर्ष हेतु आयोजना सीमा 4258 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5504 करोड़ रुपए करने का निर्णय किया है।

12. वार्षिक योजना वर्ष 2003-04 के संशोधित आकार में सर्वाधिक राशि 30.61 प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए रखी गई है, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पीने का पानी, नगरीय विकास एवं आवासन, श्रम कल्याण, समाज कल्याण, पोषाहार अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण आदि शामिल हैं।

13. पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना तक कांग्रेस का शासन रहा है (दोई वर्ष को छोड़कर)। उक्त अवधि में कुल 7200 करोड़ रुपए व्यय हुए, जबकि 8वीं पंचवर्षीय योजना में तत्कालीन बी.जे.पी. के शासनकाल में 11500 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई जिसके विरुद्ध 11999 करोड़ रुपये व्यय हुए।

14. 9वीं पंचवर्षीय योजना 27650 करोड़ रुपए की चालू मूल्य पर

निर्धारित की गई थी, परन्तु सरकार परिवर्तन होने के कारण माह नवम्बर, 1998 के बाद की क्रियान्विति पूर्व सरकार ने की। वर्षवार के मूल आवंटन के विरुद्ध व्यय की प्रगति के अनुसार अन्तिम चार वर्षों में 15422 करोड़ रुपये व्यय किये गये, जो कि मूल आकार 18227 करोड़ रुपये के विरुद्ध 2805 करोड़ रुपये कम व्यय हुआ। इसके कारण राज्य को भारी क्षति हुई। वर्ष 1998-99 तक राज्य सरकार पर कुल देनदारियां लगभग 24 हजार करोड़ रुपए की थी, जिसको पूर्व सरकार ने 52 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया।

15. बीस सूची कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाएगी ताकि इस वर्ष भी राज्य प्रथम स्थान प्राप्त कर सके। बीस सूची कार्यक्रम के सुदृढ़ परिवीक्षण के लिए सभी 32 जिलों की जिला प्रथम स्तरीय समितियों का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है।

16. योजना आयोग के निर्देशानुसार 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 की मध्यावधि समीक्षा की जाएगी। वार्षिक योजना 2004-05 का दस्तावेज तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है और वर्ष 2003-04 की तरह आगामी वर्षों की योजना व्यय राशि में भी बढ़ोतरी की जावेगी, जिससे राज्य के विकास दर में आया हुआ ठहराव समाप्त हो सकेगा।

17. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएं तय करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यकारी दलों का गठन किया जाएगा। योजना आयोग द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं राज्य की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012 का दस्तावेज तैयार किया जाएगा।

प्रशासनिक सुधार

18. प्रशासन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व सुशासन का मूल आधार है। अतः प्रशासन को और अधिक जन केन्द्रित, संवेदनशील, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य कर्मियों द्वारा नागरिक अधिकार पत्रों में की गई व्यवस्थाओं का अक्षरशः पालन किया जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम एवं नागरिक अधिकार पत्रों का उल्लंघन करने वाले कर्मियों को अन्य जिलों में स्थानान्तरित करने की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

19. प्रशासन में संवेदनशीलता के लिए यह आवश्यक है कि राज्य कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि

राज्यकर्मी कार्य समय में कार्यस्थल पर उपस्थित रहें ताकि आम जनता को असुविधा न हो। नई सरकार के गठन के उपरान्त जनता के अभाव अभियोगों एवं जन समस्याओं के शीघ्र निराकरण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सभी संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों एवं जिला कलेक्टरों को जन समस्याओं का समयबद्धता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

सूचना, संचार एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी

20. राज्य में सूचना-प्रौद्योगिकी के निरंतर हो रहे विकास एवं वर्तमान परिवेश में ई-प्रशासन के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार भविष्य में सम्पूर्ण राज्य में ई-गवर्नेंस स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना गया है। विज्ञान-प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के माध्यम से राज्य के जन सामान्य को लाभान्वित करने एवं जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा अनेक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

आधारभूत सुविधाओं की सरंचना

(ऊर्जा, सिंचाई एवं पेयजल, सड़क निर्माण)

ऊर्जा

21. पिछली सरकार अपने कार्यकाल में बिजली हर स्तर पर उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हो पाई। हमारी सरकार ने विद्युत के महत्व को समझते हुए यह तय किया है कि राजस्थान का कोई व्यक्ति अन्धेरे में नहीं रहे। इसके लिए सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने, चोरी, छीजत व लाइन-लॉस को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु कटिबद्ध है।

22. आगामी 5 वर्षों में समस्त साधनों से विद्युत उपलब्धता को 1600 मेगावाट अतिरिक्त रूप से बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली कनेक्शन देने के कार्य को प्राथमिकता देकर 45 प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक लाया जाएगा। सम्पूर्ण राज्य में औद्योगिक क्षेत्र, शहरी क्षेत्र एवं 5 हजार से अधिक आबादी वाले गाँवों (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) को निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के सभी गाँवों का विद्युतीकरण किया जाएगा। राज्य की ढाणियों, मजरी के विद्युतीकरण के लिए परिभाषा निर्धारित की जाकर

उनके विद्युतीकरण का चरणबद्ध कार्यक्रम लिया जायेगा। गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए कुटीर ज्योति (एक बत्ती) कनेक्शन देने की संख्या वर्तमान में निर्धारित 15 हजार को बढ़ाकर 45 हजार की जाएगी।

सिंचाई एवं पेयजल

23. सरकार किसानों की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं के हल के लिए सम्बन्धित विभागों की समन्वय समिति बनाएगी ताकि सिंचाई, पेयजल, भू-जल व पानी से सम्बन्धित अन्य विभाग साथ काम करें। आगामी 5 वर्षों में तीन वृहद् परियोजनाएं माही बजाज सागर, बीसलपुर एवं रतनपुरा वितरिका, 5 मध्यम, 1 आधुनिकीकरण व सभी लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यमुना जल का भरतपुर, चूरू, झुन्झुनू जिले में उपयोग करने के कार्य को आरम्भ किया जाएगा। चम्बल जल ग्रहण क्षेत्र में दो वृहद्, काली सिन्ध व परवन, 8 मध्यम (चाकन, पिपलाल, तकली, हथियादेह, मनोहरथाना, हिन्डसोट, अन्धेरी एवं ल्हासी) एवं 71 लघु सिंचाई योजनाएं चिन्हित कर तखमीने तैयार किए गए हैं। इन योजनाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्धता के आधार पर शुरू किया जाएगा तथा इनसे दो लाख हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है।

24. नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान में 74 कि.मी. लम्बी मुख्य नहर का कार्य प्रगति पर है। इसके माध्यम से जालौर एवं बाड़मेर जिले के 2.51 लाख हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है तथा जालौर एवं बाड़मेर जिले के 770 गाँवों में पेयजल सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। परियोजना पर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त हो रही है। वर्ष 2003-2004 में केन्द्रीय ऋण सहायता सीमा में माह दिसम्बर, 2003 में वृद्धि के कारण परियोजना की आयोजना सीमा 40 करोड़ से बढ़ाकर 375 करोड़ रुपए कर दी गई, जिससे गुजरात राज्य को राज्य की हिस्सा राशि का लम्बित भुगतान हो सकेगा।

25. राज्य सरकार, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्र की प्रमुख नदियों को जोड़ने की परियोजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में सहयोग देगी। नदियों के अधिकांश जल को राजस्थान में लाने के लिए शारदा-यमुना लिंक नहर, राजस्थान साबरमती शीघ बनाने के लिए प्रयासरत हैं, इस

विषय में केन्द्र सरकार को निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। चम्बल जल संग्रहण क्षेत्र की मुख्य नदियां पार्वती, निवाज एवं कालीसिंध को चम्बल नदी से जोड़कर इनका अतिरिक्त जल राणाप्रताप सागर में डालने के प्रस्ताव केन्द्र के स्तर पर विचाराधीन हैं। इस लिंक से आधिक्य जल को बनास नदी में डालने के लिए अध्ययन किया जाएगा।

26. जल संग्रहण एवं भू-जल पुनर्भरण हेतु जिला संग्रहण एवं संवर्द्धन कार्य योजना (मास्टर प्लान) तैयार किए गए हैं, जिससे 2047.63 करोड़ रुपए की लागत के 47698 कार्यों को चिन्हित कर सम्मिलित किया गया है। इनमें से 16803 कार्य जिनकी लागत लगभग 367.97 करोड़ रुपए है, निर्मित करवाए जा चुके हैं। शेष कार्यों को सम्पन्न करने के लिए 5000 कार्य जिनकी लागत लगभग 150 करोड़ होगी, चिन्हित कर तखमीने 100 दिवस में बनाए जाने हैं।

27. सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र विकास-इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल एवं सिद्धमुख नोहर परियोजना में उपयुक्त सिंचाई एवं सम्बन्धित सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। आगामी 5 वर्षों में लगभग 988 करोड़ रुपए व्यय कर 1298 किलोमीटर लम्बी नहरों का निर्माण तथा 4.18 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है, जिससे मुख्यतः हनुमानगढ़, चूरु, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर जिले के निवासी लाभान्वित होंगे।

28. जल ही जीवन है। जल है तो कल है। राज्य सरकार पेयजल के क्षेत्र में बहुत संवेदनशील है और राज्य के नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति करने की दृष्टि से वर्तमान में पेयजल स्रोत 1.6 किलोमीटर की बजाय 500 मीटर तक उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास कर रही है। सरकार राज्य में खारे पानी व फ्लोराइडयुक्त हैबीटेशन को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की नीति पर कायम है।

29. सतही जल आधारित वृहद परियोजनाओं जैसे चम्बल-धौलपुर-भरतपुर, आर.जी.एल.सी. जोधपुर फेज द्वितीय, जयपुर-बीसलपुर परियोजना, जयपुर-दूदू-फुलेरा, चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती जैसी महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्धता से पूरा किया जाएगा। बाड़मेर-जैसलमेर परियोजना तथा चूरु-झुन्झुनूं फेज द्वितीय के लिए भी बाह्य एवं आन्तरिक वित्तीय स्रोत जुटाने की कार्यवाही की जाएगी।

30. जयपुर की वीसलपुर परियोजना तथा उदयपुर की मानसी-वाकल परियोजना को शीघ्र पूरा कर वहां की पेयजल समस्या का समाधान किया जाएगा। कांकरोलिया घाटी योजना को एक वर्ष में पूरा कर भीलवाडा शहर की पेयजल समस्या का समाधान किया जाएगा।

31. फ्लोराइड एवं खारे पानी से समस्याग्रस्त चूरू एवं हनुमानगढ़ की आपणी योजना तथा चूरू-बिसाऊ परियोजना को आगामी 1 साल में पूर्ण कर लिया जाएगा। आपणी योजना के तहत सभी 370 गाँवों तथा सरदारशहर एवं तारानगर कस्बों को तथा चूरू-बिसाऊ योजना से चूरू, बिसाऊ एवं रतनगढ़ कस्बों तथा 169 गाँवों को पूर्णरूप से लाभान्वित किया जाएगा। भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए जन जागृति के साथ **Rain water harvesting** (वर्षा जल संग्रहण) के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। परम्परागत स्रोतों में पहली बार राज्य की प्राचीन धरोहर को कार्यशील रखने के उद्देश्य से राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र में टांके व पक्के जोहड़ के औचित्य को देखते हुए आंशिक सहभागिता के आधार पर पुनर्जीवित किया जाएगा।

32. केन्द्र प्रवर्तित स्वजलधारा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। सरकार का यह प्रयास रहेगा कि ऐसा वातावरण बने कि राज्य के सभी ग्राम अपनी पेयजल की आवश्यकता पूर्ति हेतु स्वयं अपनी पसन्द की योजना बनाकर क्रियान्विति कर सकें। आगामी 5 सालों में पूरे राज्य में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान चलाकर सभी गाँवों को व्यक्तिगत शौचालय तथा सभी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को शौचालयों की सुविधा से जोड़ा जाएगा।

33. राजस्थान जल क्षेत्र पुनसंरचना परियोजना के तहत 3 पंचायत समिति क्षेत्रों पीपराती (सीकर), मण्डोर-औंसियां (जोधपुर) तथा खमनोर (राजसमंद) में आंशिक भागों में भू-जल प्रबन्धन हेतु प्रारम्भ की गई पायलेट परियोजनाओं के अन्तर्गत सभी कुओं, नलकूपों, बोरिंग आदि की जाँच, ग्रामीण समितियों का गठन, जल के संरक्षण एवं उचित उपयोग हेतु जन-जागरण का कार्यक्रम एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप-भू-जल संरक्षण निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना में 1 वर्ष में 400 पीजोमीटर का निर्माण तथा पंचायत स्तरीय समितियों का गठन पूरा किया जाएगा। परियोजना का कार्य आगामी 5 वर्षों की अवधि में मार्च, 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रकार के कार्य जनसहभागिता से अन्य जिलों में भी प्रारम्भ किए जाएंगे।

34. भारत सरकार की नीति के अनुरूप जल संसाधन मंत्रालय ने 10वीं योजना में वर्षा जल के संचयन एवं भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए नवीन केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रारम्भ करने को कहा है। इस योजना के तहत आगामी 5 वर्षों की अवधि में कार्य करवाए जाएंगे। आगामी 1 वर्ष की अवधि में विभाग सन् 2004 की तथा 5 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत 2007 की भू-जल संसाधन आकलन रिपोर्ट तैयार करेगा।

सड़क निर्माण

35. राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य सड़क क्षेत्र के विकास में राष्ट्रीय विकास की तुलना में काफी पीछे है। राज्यों में सड़कों का घनत्व 76.80 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर की तुलना में 44.67 किलोमीटर ही है। राज्य के आर्थिक व सामाजिक विकास में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन राजस्थान सड़कों के विकास में अभी पिछड़ा हुआ है।

36. यातायात में लगातार हो रही बढोतरी से पूर्व में बनी सड़कों के उच्चीकरण की अति आवश्यकता है। सरकार राज्य में सड़क तंत्र के सुदृढीकरण व उच्चीकरण तथा गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के कार्य को उच्च प्राथमिकता देगी।

37. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 एवं उससे अधिक की आबादी के समस्त 8969 गाँवों को सन् 2007 तक पक्की सड़कों से जोड़ने का महत्वाकांक्षी कार्य हाथ में लिया है। इस योजना में अब तक 1086.13 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिससे 9114 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 2562 गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाना है। इन स्वीकृतियों के विरुद्ध 501.77 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है, जिससे 3936 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 918 गाँवों को सड़कों से जोड़ा गया है। वर्ष 2004-05 के अन्त तक 834 करोड़ रुपए व्यय कर 8344 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे 2305 गाँवों को सड़कों से जोड़ा जा सकेगा। इस योजना के आरम्भ से लेकर अब तक 1086.13 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जबकि वर्ष 2004-05 के अन्तर्गत 950 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए भारत सरकार द्वारा सहमति प्रदान की गई है। राज्य सरकार इस योजना को तीव्र गति से क्रियान्वित करेगी। राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि वर्ष 2007

तक 500 से अधिक आबादी के सभी गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ दिया जाए। इस कार्य पर लगभग 3917 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी।

38. राज्य में राज्यमार्गों एवं जिला मुख्य मार्गों की स्थिति भी ठीक नहीं है। 5263 किलोमीटर सड़कों की लम्बाई नवीनीकरण से शेष है। आगामी 5 वर्षों में राज्य उच्च मार्गों/मुख्य जिला सड़कों की 5263 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण, 7000 किलोमीटर सड़कों को इन्टरमीडिएट लेन में व 3500 किलोमीटर सड़कों को डबल लेन में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

39. पूर्व में बनी हुई सड़कों में कई टुकड़ों का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 के अन्त तक मिसिंग लिंक परियोजना के अन्तर्गत 287.79 करोड़ की लागत से 2715 किलोमीटर लम्बाई की मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें से अब तक 21.25 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है तथा कार्य प्रगति पर है।

40. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अन्तर्गत राज्य में स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के तहत जयपुर से किशनगढ़ की सड़क को छः लेन में परिवर्तित किया जा रहा है। यह कार्य सितम्बर, 2005 तक पूरा होने की संभावना है। किशनगढ़-नसीराबाद-भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़-उदयपुर-रतनपुर तक के 431 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में परिवर्तित किया जा रहा है, जो मई, 2004 तक पूरा होगा। पूर्व-पश्चिम द्वार योजना के तहत पिण्डवाड़ा-उदयपुर-चित्तौड़गढ़-कोटा-शिवपुरी तक की सड़क को भी मई, 2007 तक 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। इन समस्त कार्यों पर भारत सरकार लगभग 3091 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, इससे राज्य के विकास को गति मिलेगी।

41. राज्य में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु राज्य सरकार बीओटी की वर्तमान नीति में संशोधन करेगी ताकि निजी क्षेत्र एवं राजकीय क्षेत्र की भागीदारी से अधिक परियोजनाएं क्रियान्वित हो सकें। सड़कों के रख-रखाव में भी एमओटी नीति लागू की जाएगी। आगामी 5 वर्षों में बीओटी एवं एमओटी परियोजनाओं के अन्तर्गत लगभग 400 करोड़ रुपए निवेश किए जाने की योजना है।

42. राज्य में आगामी 5 वर्षों में, राज्य व केन्द्र सरकार की सड़क विकास की परियोजनाओं के अन्तर्गत लगभग 10410 करोड़ रुपए का निवेश

सड़क क्षेत्र में किया जाएगा। इस निवेश से 27049 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण कर 8051 गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त 26692 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च मार्गों, राज्य उच्च मार्गों, मुख्य जिला सड़कों व राज्य सड़कों को चौड़ा करने, सुदृढ़ करने व नवीनीकरण करने का कार्य किया जाएगा।

रोजगार के नये अवसरों का सृजन

(कृषि, सहकारिता, पशुपालन, पर्यावरण, उद्योग, खनन, नगरीय विकास एवं आवासन, पर्यटन व परिवहन)

कृषि

43. राजस्थान में अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। इस वर्ष राज्य में मानसून का आगमन समय पर होने व सामान्य वर्षा के फलस्वरूप खरीफ में 120 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के विरुद्ध 134.12 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई। खरीफ 2003 में खाद्यान्न में 40.71 लाख मेट्रिक टन के विरुद्ध 60.32 लाख मेट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है। रबी 2003-04 में 70 लाख हैक्टेयर बुआई के लक्ष्य के विरुद्ध 62.88 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुआई की जा चुकी है।

44. यह प्रयास किया जाएगा कि अनाज फसली क्षेत्र में 1 प्रतिशत, दलहन में 4 प्रतिशत एवं तिलहन में 3.74 प्रतिशत की वृद्धि हो। इसी प्रकार अनाज उत्पादन में 4 प्रतिशत, दलहन में 5 प्रतिशत तथा तिलहन में 7 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त होगी। राज्य में कृषि विकास की दर में कम से कम 4 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त होगी। इससे कृषि की दिशा में आगामी 5 वर्षों में क्षेत्र बढ़ेगा। इस हेतु राज्य में कृषकों की आय में अभिवृद्धि हेतु कृषि नीति में प्राथमिकता के आधार पर जैविक खेती को बढ़ावा, बून्द-बून्द सिंचाई योजना का विस्तार, फसल विविधीकरण एवं आधारभूत संरचना में निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने हेतु यथा भण्डारण एवं श्रेणीकरण की दिशा में दीर्घकालीन योजना बनाना प्रस्तावित है।

45. कृषि विभाग द्वारा आगामी 5 वर्षों में विभिन्न कार्यक्रमों यथा बून्द-बून्द सिंचाई कार्यक्रम, जैविक खेती, कृषि प्रदर्शन, कृषक प्रशिक्षण, बीज वितरण, चारा विकास आदि पर 40451.16 लाख रुपए का कार्यक्रम प्रस्तावित

है। कृषि आदानों की सुलभता की दृष्टि से 3185 नए विक्री केन्द्र अगले पाँच वर्षों में स्थापित करने हेतु अनुज्ञा-पत्र जारी किए जाएंगे, जिससे कृषकों को खाद, बीज, कीटनाशक, दवाइया एवं जैविक खेती के आदान सुगमता से एवं उचित दर पर उपलब्ध हो सकें। काल सेन्टर योजना शीघ्र प्रारम्भ की जाएगी, जिसके द्वारा कृषि से सम्बन्धित जानकारी/कठिनाइयों के निवारण हेतु उपाय कृषकों को दूरभाष पर तत्काल उपलब्ध हो सकेंगे। कृषि विस्तार एवं कृषकों को कृषि विज्ञान केन्द्रों पर प्रशिक्षण हेतु आगामी 5 वर्षों में 1510 लाख रुपए की राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

46. कृषि क्षेत्र में विकास की दृष्टि से नीतिगत सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस दिशा में अनुज्ञा-पत्र की प्रक्रिया को सरलीकरण, कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया को सरलीकरण, निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम आदि सुधार प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के लिए पृथक से जैविक/ राज्य की कृषि नीति भी तैयार की जाएगी। राज्य में उद्यानों के विकास, फलोरीकल्चर (पुष्प वानिकी), औषधि एवं सुगंधित पौधों व बगीचों के प्रोत्साहन हेतु कार्य योजना बनाई जाएगी।

47. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों यथा वर्मी कम्पोस्ट, फसल परिवर्तन, गुण-वृद्धि, जैविक खेती, जल ग्रहण विकास, औषधीय पौधों की खेती तथा क्षेत्र की आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर लगभग 6000 कृषकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी प्रकार रबी एवं खरीफ ऋतुओं में उन्नत तकनीक के प्रदर्शन यथा जैविक खेती, बीज उपचार, सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग, पौध संरक्षण उपचार, पाले की रोकथाम व आवश्यकता पर आधारित प्रदर्शन भी आयोजित किए जाएंगे। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा उत्पादन तकनीक के आधार पर खरीफ, 2004 के लिए विभिन्न फसलों के पैकेज की सिफारिश करेगा। बीज उत्पादन के लिए चार से पाँच हजार कृषकों के यहाँ कार्यक्रम लेगा तथा जैविक खेती पर एक राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया जाएगा।

कृषि विपणन

48. कृषि विपणन के क्षेत्र में उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु नीतिगत सुधार भारत सरकार द्वारा

प्रस्तावित प्रारूप में किसानों से सीधी खरीद की व्यवस्था (Direct Marketing), उनसे संविदा के आधार पर कृषि उत्पादन एवं कृषि विपणन की आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने हेतु Wholesale Market, Terminal Market को बढ़ावा देने हेतु पूंजीगत निवेश नीति बनाया जाना प्रस्तावित है। इससे व्यापार अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक होने से इसका लाभ काश्तकार व उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस हेतु जयपुर में राजधानी उप-मण्डी प्रांगण, सीकर रोड एवं टर्मिनल मार्केट, मुहाना (सांगानेर) का विकास शामिल है।

49. मण्डी समितियों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए किसानों को बाजार भाव से संसूचित करने, विश्व व्यापार में भागीदारी बढ़ाने, मण्डी समितियों में बाजार भावों की सूचना एवं नियमन व्यवस्था को पारदर्शी करने के दृष्टिकोण से किसान सूचना केन्द्रों का विकास करने की योजना प्रस्तावित है, जिसके तहत इस वर्ष 60 मण्डी समितियों में एवं आगामी 5 वर्षों में राज्य की समस्त मण्डी समितियों में कम्प्यूटर स्थापित कर उन्हें इन्टरनेट से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

50. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आगामी 100 दिवसों में मिसिंग लिंक परियोजना के तहत 150 किमी लम्बी सड़कों का निर्माण कराएगा तथा विशेष मरम्मत परियोजना के अंतर्गत 1200 किलोमीटर सड़कों का सुदृढीकरण कराएगा। इन कार्यक्रमों पर 28 लाख मानव श्रम दिवसों का रोजगार उपलब्ध होगा। जयपुर में राज्य स्तरीय फल व सब्जी टर्मिनल मार्केट हेतु मुहाना (सांगानेर) में कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। जयपुर में 275 लाख रुपए की लागत से किसान भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। किसानों को बियोलियों से मुक्ति दिलाने व उपभोक्ता को सस्ती दर पर सब्जी उपलब्ध कराने हेतु जयपुर में मानसरोवर व विद्याधर नगर में दो किसान मण्डियों का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा।

51. मण्डी समितियों की प्राप्त आय में बढ़ोतरी हेतु कार्य योजना, सड़क नीति में संशोधन, सुविधाओं के विस्तार हेतु नीतिगत पारदर्शी आय का आवंटन व कृषि उपज-मण्डी समितियों का चुनाव कराए जाने हेतु कृषि उपज विपणी अधिनियम/नियमों में संशोधन प्रस्तावित है।

सहकारिता

52. सहकारिता विभाग द्वारा हुनरमंद युवाओं को स्वरोजगार के लिए

सहकारी समितियाँ गठित कर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन संस्थाओं को सरकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाएगी, इससे ग्रामीणों और आम नागरिकों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सेवाएं व रोजगार उपलब्ध होंगे।

53. राज्य के सहकारिता विभाग द्वारा किसानों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के साथ ही कृषि कार्यों में आधुनिकतम तकनीक के प्रयोग और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकारी कर्ज वितरित किए जाते हैं। आगामी 5 वर्षों में सहकारी बैंकों के माध्यम से लगभग 10 हजार करोड़ रुपए के विभिन्न तरह के सहकारी कर्ज वितरित करने का लक्ष्य है।

पशुपालन

54. राज्य में विभाग विभिन्न स्तरों पर 3437 पशु चिकित्सा संस्थाओं के साथ पशु नस्ल सुधार एवं स्वास्थ्य जांच का कार्य कर रहा है। नस्ल सुधार के लिए आगामी वर्षों में समस्त जिलों में वेटेनरी एडवाइस क्लीनिक (on line) की सुविधा मुहैया कराया जाना प्रस्तावित है। राज्य में किसी प्रकार का रोग न हो, इस हेतु एक करोड़ पशुओं में व्यापक टीकाकरण का कार्य किया जाएगा।

55. राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन से सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों की स्थापित दुग्ध विधायन क्षमता को 9 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर अपने स्वयं के स्रोतों से 13.45 लाख लीटर प्रतिदिन कर दिया गया है। अगले 5 वर्षों में प्रतिदिन 15.87 लाख किलोग्राम औसतन दूध संकलन एवं प्रतिदिन 12 लाख लीटर दुग्ध के वितरण-विक्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

56. आगामी 5 वर्षों के दौरान राज्य में मत्स्य बीज उत्पादन को 200 मिलीयन से बढ़ाकर 300 मिलीयन फ्राई प्रतिवर्ष तक कर दिया जाएगा एवं मत्स्य उत्पादन को 13 हजार मेट्रिक टन से बढ़ाकर 22 हजार मेट्रिक टन किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

पर्यावरण

57. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व बैंक एवं केन्द्रीय प्रदूषण मण्डल के सहयोग से राज्य के विभिन्न स्थानों के क्षेत्रीय मानचित्र तैयार कर रहा है। राजसमन्द तथा उदयपुर

जिलों के क्षेत्रीय मानचित्र तैयार होकर प्रकाशित हो चुके हैं। तीन अन्य जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों के क्षेत्रीय मानचित्र अन्तिम तैयारी के स्तर पर हैं।

खनिज एवं उद्योग

58. राज्य के आर्थिक विकास में खनिज उत्पादन एवं खनिज आधारित उद्योग की विशेष भूमिका रहती है। सरकार लाइमस्टोन, सैण्डस्टोन एवं जिप्सम के लिए नीति निर्धारित करेगी। खनिज गतिविधियों से पर्यावरण पर दूषित प्रभाव ना पड़े इस दृष्टि से पर्यावरण मैत्री नीति बनाई जाएगी। राज्य में खनिजों के विकास व खनिज आधारित उद्योगों में निवेश को सुनिश्चित करने के लिए नई खनिज नीति निर्धारित कर दी जाएगी। 5 वर्ष की अवधि में ई-बिजनेस का ढांचा तैयार करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि राज्य से दोहन किए जाने वाले खनिजों के व्यवसाय में वृद्धि हो सके व उपभोक्ता को भी सही मूल्यों पर खनिज उपलब्ध हो सके। निवेशकों को राज्य में उपलब्ध खनिजों की पूरी जानकारी हो, इसके लिए खनिज निर्देशिका का प्रकाशन एवं जिलेवार उपलब्ध खनिजों की जानकारी एवं उन पर आधारित निवेश के संभावित क्षेत्रों का विवरण दर्शाते हुए District Mine Plan (जिला खान योजना) 3 महीने में तैयार किया जाएगा।

59. राज्य में उद्योग एवं उद्यमिता के विकास के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे। लघु उद्योगों की स्थापना हेतु अधिक से अधिक सहयोग दिया जाएगा, साथ ही एकल खिड़की व्यवस्था को राज्य एवं जिला स्तर पर अधिक प्रभावी व कार्यशील बनाया जाएगा।

नगरीय विकास एवं आवासन

60. शहरी क्षेत्रों के विकास एवं आवास समस्याओं के लिए प्रदेश के 6 संभागीय मुख्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को त्वरित गति से बढ़ाने एवं नगरीय क्षेत्रों में कच्ची बस्ती के नियमन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। भवन निर्माण की स्वीकृति एवं भू-पट्टियों के लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निपटाया जाएगा। एशियन विकास बैंक पोषित परियोजनाओं को तीव्र गति से लागू किया जाएगा, जिसके तहत पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, शहरी सड़क, पुल एवं फ्लाई ओवर, ठोस कचरा प्रबन्धन, विरासत संरक्षण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा अग्नि शमन सेवा के कार्य हाथ में लिए गए हैं।

61. जयपुर शहर के विकास से सम्बद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण वर्तमान में 150 से 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवा रहा है। राज्य सरकार गुलाबी नगर के चहुंमुखी एवं समयबद्ध विकास के प्रति संकल्पबद्ध है। शहर की विरासत के संरक्षण के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

62. जयपुर शहर को नया रूप देने एवं हाईटेक शहर बनाने का विचार किया जा रहा है। जयपुर शहर के समग्र विकास के लिए चिन्हित परियोजनाओं को 5 साल में क्रियान्वित करने का प्रयास है, इन योजनाओं में दस्तकार नगर, चिकित्सा शहर, वनस्पति उद्यान, खेल अकादमी, परिधान पार्क तथा अजमेर रोड पर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के कार्य शामिल हैं।

63. राज्य में अब तक 53 शहरों और कस्बों के मास्टर प्लान अनुमोदित कर जनहित में लागू किए जा चुके हैं तथा 8 शहरों व कस्बों के मास्टर प्लान पर जनता से आपत्ति एवं सुझाव मांगे गए हैं। नगर नियोजन विभाग आगामी 100 दिनों में 3 नगरों, 1 वर्ष में 6 नगरों तथा 5 साल में 18 नगरों के मास्टर प्लान तैयार कराएगा। विभाग आगामी दिनों में नगर नियोजन एवं क्षेत्रीय विकास अधिनियम तथा एक वर्ष की अवधि में राज्य के शहरीकरण की नीति का प्रारूप तैयार करेगा।

64. राज्य की आवास समस्या के समाधान के लिए राजस्थान आवासन मण्डल ने 49 शहरों में 2 लाख 13 हजार 760 आवेदकों का पंजीकरण किया है तथा अब तक 46 शहरों में एक लाख 67 हजार 750 आवासों का निर्माण कराया है। मण्डल 31 मार्च, 2004 तक 2013 नए आवासों का निर्माण, 810 आवासों का आवंटन तथा 1797 आवासों का कब्जा देगा। वित्तीय वर्ष 2004-05 में निर्माण कार्यों पर 160 करोड़ रुपए खर्च कर 4 हजार नए आवास बनाए जाएंगे।

पर्यटन, कला-संस्कृति एवं पुरातत्व

65. राजस्थान का नाम पर्यटन के क्षेत्र में पूरे विश्व में विख्यात है, परन्तु धनराशि की कमी और योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता के कारण अपेक्षित परिणाम अभी सामने नहीं आए। हमारी सरकार पर्यटन के क्षेत्र को रोजगार सृजन की दृष्टि से भी प्राथमिकता देगी और नवीन विरासतोन्मुखी पर्यटन नीति का अनावरण करेगी।

66. राज्य के नैसर्गिक संसाधनों एवं विरासत को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए पर्यटन स्थलों के रख-रखाव एवं विकास के लिए वृहद योजना बनाई जायेगी, जो शुचिता, पर्यावरण, ईको पर्यटन एवं आधारभूत सुविधाओं पर आधारित होगी, जिसके फलस्वरूप पर्यटन को राज्य का प्रमुख आकर्षण बनाया जा सकेगा। इस कार्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ाई जायेगी। सरकार कला, संस्कृति एवं पुरातात्विक विरासत को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने को कृत संकल्प है। ऐतिहासिक इमारतों एवं संग्रहालयों के रख-रखाव के लिए निजी क्षेत्र एवं जन सहभागिता से सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

परिवहन

67. स्मार्ट कार्ड आधारित नेटवर्क कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत वाहन से सम्बन्धित रिकार्ड जैसे पंजीयन, परमिट, कर, बीमा आदि की जानकारी कम्प्यूटर चिप में अंकित कर एक कार्ड वाहन स्वामी को दिया जाएगा। अन्य राज्यों में भी ऐसी ही योजना के लागू होने के साथ ही वाहन स्वामी को अलग-अलग कागजात वाहन के साथ रखने से मुक्ति मिल जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री सेवाओं के विस्तार के लिए नए मार्ग खोलने एवं इन मार्गों पर अधिकाधिक वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गों के वर्तमान वर्गीकरण को युक्तियुक्त किया जाएगा।

मानव विकास एवं उत्थान

(शिक्षा, चिकित्सा, परिवार, कल्याण, महिला एवं बाल विकास, युवा व खेल, सैनिक कल्याण, वक्फ बोर्ड व देवस्थान)

शिक्षा

68. शिक्षा का विकास सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहेगी। जहाँ एक ओर महिला साक्षरता की वृद्धि के लिए राज्य सरकार विशेष कारगर कदम उठाएगी, वहीं प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए विशेष प्रयास करेगी। राज्य में सबको शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा के हर क्षेत्र में नई पहल की जाएगी।

69. राज्य में 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शिक्षा तथा प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध

कराने के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास किये जायेंगे। राज्य में शीघ्र ही 2317 शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्रों को नियमित प्राथमिक विद्यालयों में एवं 1144 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर आगामी सत्र में प्रारम्भ किया जाएगा।

70. 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करने एवं उनका ठहराव बढ़ाने की दृष्टि से "चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम" प्रारम्भ किया जाएगा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी तथा प्राथमिकता के आधार पर राजकीय बालिका विद्यालयों को सभी स्तरों पर क्रमोन्नत किया जाएगा।

71. शिक्षकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नई स्थानान्तरण नीति व प्रक्रिया तैयार की जाएगी। शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से नए शिक्षा सत्र 2004-05 के प्रारम्भ होने से पूर्व भरने का प्रयास किया जायेगा।

72. शैक्षणिक कार्यों में गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से विद्यालयों का पाठ्यक्रम केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (NCERT) के पैटर्न पर तैयार किया जाएगा। पाठ्यक्रमों में पर्यावरण व जीवनोपयोगी शिक्षा को सम्मिलित किया जाएगा। राज्य में दूरस्थ स्कूली शिक्षा को सुदृढ एवं विस्तृत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की भांति राज्य में स्टेट ओपन स्कूल का गठन एवं व्यवस्था प्रारम्भ की जाएगी।

73. अनुसूचित जाति व जनजाति की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु पुस्तक बैंक योजना का विस्तार किया जाएगा।

74. तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में बढ़ती हुई संख्या एवं तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से राज्य में एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। बायो टेक्नोलॉजी, बायो इन्फोर्मेटिक्स जैसी नई विकसित तकनीकी विधाओं में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा के साथ निजी क्षेत्र में निवेश से विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयास किए जाएंगे।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

75. पहला सुख निरोगी काया होता है। राज्य में 'स्वास्थ्य सबके लिए'

को आदर्श मानते हुए राज्य सरकार ने आगामी 5 वर्षों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। सभी संभागीय एवं जिला चिकित्सालयों में आधुनिकीकरण के लिए 60 करोड़ 44 लाख रुपए की एशियन विकास बैंक की सहायता से एक योजना क्रियान्वित की जाएगी। विश्व बैंक की 472 करोड़ रुपए की सहायता से चिकित्सा संस्थाओं के सुदृढीकरण का कार्य हाथ में लिया गया है।

76. राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों में 1.6 करोड़ रुपए की लागत से शाहपुरा, किशनगढ़, भीम एवं सोंजत सिटी के चिकित्सालयों में ट्रोमा यूनिट स्थापित किये जाएंगे। राज्य में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाई जाएगी। राज्य में जनसंख्या स्थायित्व व मातृ-शिशु सेवाओं में अभिवृद्धि हेतु विभिन्न विभागों के सामंजस्य से जन भागीदारी के आधार पर निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

77. राज्य में स्थापित प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, योग व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को अधिक कार्यशील करने के लिए अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने तथा विशेषज्ञ चिकित्सक तैयार करने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। राज्य में मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के माध्यम से राज्य के इच्छुक किसानों को उपयोगी जड़ी-बूटियों की खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास

78. हमारी सरकार मानव विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करेगी, जिसमें साक्षरता दर को बढ़ाना, आम जनता को स्वच्छ व स्वस्थ जीवन प्रदान करने के साथ-साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होगी।

79. महिलाओं की दयनीय स्थिति सुधारने के लिए महिलाओं को केन्द्र बिन्दु मानकर उनके समग्र विकास का प्रयास किया जाएगा। महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा व आर्थिक स्वावलम्बन के साथ ही साथ सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के प्रयास किये जायेंगे।

80. राज्य में बच्चों के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने की दृष्टि से 6 वर्ष तक की आयु के अति-कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें आंगनबाड़ी केन्द्रों से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार 3 से 5 वर्ष के प्राथमिक शाला से वंचित बच्चों

की पहचान कर उन्हें स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। राज्य के बालकों के लिए बाल-नीति भी तैयार कर लागू की जाएगी। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं यूनीसेफ के सहयोग से अप्रैल, 2004 एवं नवम्बर, 2004 में विटामिन-ए की अतिरिक्त खुराक तथा टीकाकरण का सघन कार्यक्रम सम्पन्न किया जाएगा।

81. आगामी 5 वर्षों के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से बेहतर तालमेल स्थापित कर शिशु मृत्यु-दर एवं मातृ मृत्यु-दर कम करने तथा बच्चों के टीकाकरण का प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

82. शोषित एवं उत्पीड़ित महिलाओं को अविलम्ब राहत देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय महिला सहायता समितियों को सुदृढ़ किया जाएगा।

युवा व खेल

83. प्रतिवर्ष 1 लाख नवयुवकों को रोजगार देने, बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी-भत्ता देना तथा युवाओं के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से राज्य युवा बोर्ड का गठन किया गया है। जिला स्तर पर भी युवा बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है। विभाग प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, खेल का वातावरण तैयार करने एवं आधारभूत खेल सुविधाएं विकसित करने का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत भीलवाड़ा में खेल अकादमी, उदयपुर, अजमेर व कोटा में यूथ हॉस्टल, जयपुर व जैसलमेर में खेल छात्रावास बनाया जाएगा।

सैनिक कल्याण

84. कारगिल युद्ध एवं अन्य आपरेशनों में शहीद सैनिकों एवं अर्द्ध सैनिक बल कार्मिकों के लिए पैकेज के तहत अधिकांश शहीद सैनिकों को इसका लाभ दिया जा चुका है। राज्य में एक अप्रैल, 1999 से अब तक 322 सैनिक शहीद हो चुके हैं। जयपुर के विद्याधर नगर में युद्ध विधवा छात्रावास एवं पुनर्वास केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है।

वक्फ

85. वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण 31 मार्च, 2004 तक पूरा कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त वक्फ संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने तथा कब्रिस्तानों और शमशानों की चारदीवारी बनाने, बिजली एवं पानी की व्यवस्था की जाएगी।

देवस्थान

86. देवस्थानों के समुचित विकास में शासन के साथ समाज की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। तीर्थाटन एवं देशाटन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग के समन्वय से प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं समग्र विकास में धर्मावलम्बी उद्योगपतियों से सहयोग लिया जाएगा। जनहित कार्यों से जुड़े 5 हजार ट्रस्टों की गतिविधियों को योजनाबद्ध रूप दिया जाएगा।

कमजोर व असहाय वर्गों की देखरेख

(ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति, आपदा प्रबन्धन, श्रम एवं नियोजन)

ग्रामीण विकास

87. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2004-05 में पूर्व संचालित कार्यों और योजनाओं पर लगभग 585 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत इस वर्ष दो विशेष परियोजनाएं क्रमशः अजमेर जिले हेतु डेयरी विकास की 469.75 लाख की परियोजना एवं हस्तकला उद्योग के विकास हेतु 526.55 लाख की परियोजना 4 जिलों यथा उदयपुर, राजसमन्द, बांसवाड़ा एवं इंगरपुर के लिए स्वीकृत कराई गई है। इसके अतिरिक्त 9656.84 लाख रुपए लागत की 14 विशेष परियोजनाएं भारत सरकार के स्तर पर स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं।

88. ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को और अधिक आवास उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास एवं पुनर्वास हेतु नवाचार योजना के तहत विभिन्न जिलों के लिए परियोजना तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भिजवाई गई हैं। वित्तीय वर्ष 2004-05 में लगभग 1 लाख मकान बनाए/ क्रमोन्नत किए जाकर गरीब परिवारों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

89. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष 2004-05 की जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर की कार्य योजना मार्च, 2004 में ही तैयार कर ली जाएगी ताकि वित्तीय वर्ष के आरम्भ से ही कार्य प्रारंभ किया जा सके। आगामी वित्तीय वर्ष में इस योजना में लगभग 150

लाख मानव दिवस सृजित किए जन्मा प्रस्तावित है। विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही डी.पी.आई.पी. की योजना के क्रियान्वयन को और मजबूत किया जाएगा।

समाज कल्याण

90. छात्रावासों में अधीक्षकों के रिक्त पदों के भरने की कार्यवाही के साथ संस्थाओं के समयबद्ध एवं आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा तथा इन संस्थाओं को संस्कारोन्मुखी बनाया जाएगा।

91. आगामी एक वर्ष में छात्रवृत्ति की विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा ताकि गरीब तबके के छात्र-छात्राओं को समय पर नियमित रूप से छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके। विकलांग, वृद्धावस्था एवं विधवा पेन्शन के नियमों की प्रक्रिया का सरलीकरण कर इसे और अधिक व्यावहारिक बनाया जाएगा। नशा-मुक्ति अभियान को जन आन्दोलन का रूप दिया जाएगा। आगामी 5 वर्ष में नेत्रहीन छात्रों को निःशुल्क ब्रेल लिपि में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास

92. सरकार वर्तमान अनुसूचित क्षेत्र से लगे हुए आदिवासी बाहुल्य वाले क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु सशक्त प्रयास करेगी। उदयपुर जिले के कोटडा एवं झाड़ोल पंचायत समिति क्षेत्र के जंगलों में निवास करने वाली अत्यन्त पिछड़ी कथोड़ी जनजाति को आदिम जनजातीय समूह घोषित करने हेतु सशक्त प्रयास किए जाएंगे ताकि इस जनजाति को आदिम जनजाति समूह को मिलने वाली सुविधाओं से लाभान्वित कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

93. सरकार द्वारा आगामी वर्षों में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को पढ़ने हेतु उचित वातावरण एवं सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 11 आश्रम छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर इनका संचालन प्रारम्भ किया जाएगा, जिससे 550 छात्र-छात्राओं को लाभ प्राप्त हो सकेगा। आगामी 5 वर्ष में वर्तमान में प्रारम्भ किए गए 9 आवासीय विद्यालयों के भवनों को पूर्ण करवाकर उनका संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति

94. हमारी सरकार राजस्थान की जनता को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध

कराने के प्रति कटिबद्ध है। इन प्रयासों के तहत खाद्य सुरक्षा नीति बनाई जाएगी जिसमें सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी व्यक्ति को भूखा नहीं मरना पड़े।

95. खाद्य, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य तथा सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मिलावट, जमाखोरी एवं कालाबाजारी के विरुद्ध एक विशेष अभियान शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा। उपभोक्ता हितों की सुरक्षा की दृष्टि से उपभोक्ता निदेशालय का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

आपदा प्रबन्धन

96. भौगोलिक कारणों से राज्य को सूखे की समस्या से लगातार जूझना पड़ रहा है। इसलिए सूखे से निपटने हेतु संकट प्रावधान व्यवस्था की बजाय जोखिम प्रावधान व्यवस्था को अपनाया होगा। राज्य में सूखे के अतिरिक्त अन्य आपदाओं जैसे भूकम्प, आगजनी, बाढ़ इत्यादि के प्रभावी प्रबन्धन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन गुप गठित किया गया है। आपदाओं से निपटने हेतु राज्य सरकार शीघ्र ही नीति घोषित करेगी तथा राज्य में अकाल सहायता कोड वर्ष 1962 में बनी थी, जो अब उपयोगिता खो चुकी है, इसके स्थान पर राज्य सरकार सूखा प्रबन्धन मैनुअल तैयार करेगी।

श्रम एवं नियोजन

97. राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी में संशोधन कर सभी अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कामगारों की न्यूनतम मजदूरी को परिवर्तनशील महंगाई भते से जोड़ने का विचार कर रही है, जिससे न्यूनतम मजदूरी की दरों को बार-बार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहे। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान निरीक्षण प्रणाली के स्थान पर वैकल्पिक सरल निरीक्षण प्रणाली अपनाए जाने तथा इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

पूरा करेंगे जन-जन का सपना

98. भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य अगड़ा राज्य भी बने इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। गरीब को गणेश मानते हुए पारदर्शी,

सवेदनशील तथा जवाबदेह पशासन देकर जन-जन का सपना पूरा करेंगे। सरकारी कार्यालयों में सर्वजन हितैषी ऐसी सरलीकृत प्रक्रिया विकसित करेंगे ताकि आम आदमी को सहज राहत मिल सके तथा उसे सुशासन का आभास हो।

99. सरकार इस सत्र में राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2004 आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

100. माननीय सदस्यगण! प्रदेश के समग्र विकास के लिए जनता आप सभी पर आशा लगाए बैठी है। आप सभी लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सदन की कार्यवाही में रचनात्मक दृष्टिकोण से भाग लें। सरकार व विरोधी पक्ष में मतभेद भले ही हों परन्तु मन भेद न हों। हम सब मिल-जुल कर सुखी, समृद्ध व उन्नत राजस्थान के लिए प्रयत्नशील हों। मेरी भावनाओं की अभिव्यक्ति ऋग्वेद की निम्न ऋचा के माध्यम से करना चाहूंगा।

समानो मंत्रः समितिः समानो समानं मनः सह चित्तमेषामं।

समानमं मंत्रमभि मंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि।

(हमारी मंत्रणा में, समितियों में, विचारों में और चिन्तन में समानता हो, सद्भावना हो, विषमता और दुर्भावना न हो।)

जय हिन्द।